



डॉ शिव प्रसाद सिंह, सदस्य
कमला अलारिया, सदस्य

14/07/25

वकील अपीलान्त व अपीलान्त
के बार-बार आवाजे लगावारे गई। कोई उपस्थित
नहीं। अतः पत्रावली अडम हाजरी व अडम
पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली
बाद कार्यवाही दारिखल दफ्तर है।
आदेश शुले न्यायालय में सुनाया

शयाग


सदस्य
राजेश मण्डल राजस्थान
अजमेर


सदस्य
राजेश मण्डल राजस्थान
अजमेर